

कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ।
पत्रांक 634 /14-1 आगरा, दिनांक, 10 अगस्त, 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- आगरा-बाह-कचौराघाट मार्ग (एस0एच0-62) कि0मी0 चैनेज 81.665 पर ग्राम कमालपुरा के खसरा संख्या-155 में वी0पी0सी0एल0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0771 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

संदर्भ :- उ0प्र0 शासन का पत्रांक-पी0 40/14-2-2017-800(69)/2017 दिनांक 14.06.2017 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 2676/आगरा/11016/2015 दिनांक 19.06.2017 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा का पत्र सं0-425/22-1 दिनांक 27.07.2017

महोदय,

आगरा वन प्रभाग के अन्तर्गत आगरा-बाह-कचौराघाट मार्ग (एस0एच0-62) कि0मी0 चैनेज 81.665 पर ग्राम कमालपुरा के खसरा संख्या-155 में वी0पी0सी0एल0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0771 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार की शर्तों के अनुपालन की आख्या प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा ने अपने पत्र सं0-425/22-1 दिनांक 27.07.2017 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से संलग्नकों सहित आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

आपत्ति सं0	भारत सरकार की शर्त	शर्तों की अनुपालन आख्या
1	प्रस्ताव के पृष्ठ-29 पर रक्षित भू-सन्दर्भित डिजीटल मैप पर प्रयोक्ता अभिकरण के हस्ताक्षर नहीं है।	प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-29 पर डिजीटल मैप पर प्रयोक्ता अभिकरण के हस्ताक्षर करा दिये गये हैं।
2	प्रस्ताव के पृष्ठ-37 पर रक्षित प्रमाण पत्र डी0एफ0ओ0 के हस्ताक्षर नहीं है।	प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-37 पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
3	प्रस्ताव के पृष्ठ-71 पर रक्षित प्रमाणपत्र, जो डी0एफ0ओ0 द्वारा हस्ताक्षरित है, में यह नहीं अंकित है कि किस गाटा नं0/खसरा नं0 की भूमि प्रबंधन की दृष्टि से सी0ए0 वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।	प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-71 पर गाटा नं0 अंकित कर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
4	प्रस्ताव के वैकल्पिक भूमि न होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	वैकल्पिक भूमि न होने का प्रमाण पत्र पृष्ठ सं0-12 पर संलग्न है।
5	प्रस्ताव के पृष्ठ-72 पर रक्षित लैण्ड शेड्यूल डी0एफ0ओ0 द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है और न तो प्रवेश/निकासी व मध्य की भूमि का अलग-अलग, लम्बाई/चौड़ाई में विवरण है ?	प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-72 पर संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न है।


422


D/Chauhan letter 2016

क्रमशः 242

लिग्नक :-यथोपरि।

भवदीय,



(रमेश कुमार पाण्डेय)

वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।


पत्रांक 634 / समदिनांकित।

1- प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2- प्रतिलिपि प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल) बी0पी0सी0एल0, प्लाट नं0-1, इण्डस्ट्रियल एरिया, साइट-बी, मथुरा रिफाइनरी को सूचनार्थ प्रेषित।


(रमेश कुमार पाण्डेय)

वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।



